<u>सभी पूर्ण सदस्यों के सूचनार्थ</u>

जैसा कि आप सभी जानते है कि माननीय तत्कालीन लोकपाल श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के दिनांक 23.01.23 के आदेश से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कार्यकारिणी के चार सदस्यों के कार्य करने पर रोक लग जाने के कारण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति (कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट) का न्यूनतम 5 सदस्यों का कोरम समाप्त हो गई है जिस वजह से कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट कोई भी निर्णय नहीं ले सकती।

पुनः वर्तमान लोकपाल श्री पारसनाथ राय द्वारा हेमा कुमारी के वाद में 09.06.23 को पारित अंतरिम आदेश में अध्यक्ष- श्री राकेश कुमार तिवारी , उपाध्यक्ष- श्री दिलीप सिंह तथा कोषाध्यक्ष- श्री आशुतोष नंदन सिंह को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में काम करने पर रोक लग जाने से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति के कुल आठ में से छः सदस्य अयोग्य करार दिए जा चुके हैं।

वर्तमान में कार्यकारिणी समिति के सिर्फ दो ही सदस्य / पदाधिकारी मानद सचिव श्री अमित कुमार तथा जिला संघों के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जयसवाल ही कार्यरत हैं। विदित हो कि श्री राकेश कुमार तिवारी के असंवैधानिक कृत्यों की जाँच जिलाधिकारी पटना द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमिटी तथा निबंधन विभाग द्वारा गठित कमिटी अलग अलग कर रही है। जाँच से सम्बंधित वाद स॰1020/2023 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी प्राप्त है तथा उक्त आदेश का ससमय अनुपालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता द्वारा किये गए अवमानना वाद का सामना निबंधन विभाग,बिहार सरकार,जिलाधिकारी पटना, तथा मानद सचिव श्री अमित कुमार को भी करना पड़ रहा है। हालांकि मानद सचिव ने जिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट एवं निबंधन विभाग के आदेश के बाद चुनाव घोषित कर दिए हैं,जो प्रक्रियाधीन है।

अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि मानद सचिव अमित कुमार के अलावा किसी अन्य द्वारा आहूत असंवैधानिक बैठक में शामिल नहीं हों, अन्यथा वैसे किसी भी बैठक में शामिल होने कि सुचना मिलने पर आपके विरुद्ध बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान की धारा 3(iv,vvi,vii) के तहत करवाई कि जा सकती है।

आदेशानुसार।

धर्म वीर पटवर्धन,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (प्रभारी)

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन